न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 21/2014 (225 आर. टी. एक्ट)
आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2014/00010

उनवान

1. विनोद कुमार
2. हजारीसिंह
3. राकेश सिंह

पुत्रगण प्रेमराज जाति जाट निवासी रनजीत नगर, भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

सुलोचना पत्नी सरूप सिंह जाति जाट निवासी लुधावई तहसील व जिला भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर दिनांक 07.05.2014 अंतर्गत धारा 225 आर. टी. एक्ट प्रकरण संख्या 63/14

उपस्थितिः–

1. श्री महाराज सिंह वकील अपीलांट।
2. श्री तालेराम वकील रेस्पोंडेंट।

निर्णय दिनांक–28.12.2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के आदेश दिनांक 07.05.2014 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0/प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम लुधावई तहसील व जिला भरतपुर, की रैस्पो0/प्रार्थीया रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है तथा अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रही है। रैस्पो0/प्रार्थीया की उक्त आराजी से अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट का कोई संबंध व सरोकार नहीं है परन्तु अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट चालाक व झगडालू किस्म के व्यक्ति हैं जो आये दिन

रैस्पो0/प्रार्थीया की उक्त आराजी की मेडो को तोडते रहते हैं तथा शान्ति पूर्वक काश्त में व्यवधान पैदा करते हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट को ताफैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार किया जाकर, वादग्रस्त आराजी के मौके की यथास्थित बनाये रखें जाने के आदेश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश गैर कानूनी एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि अपीलाण्ट की पत्नियॉ क्रमशः पुष्पादेवी, अनुराधा, उमा आदि विवादित आराजी की सदभावी क्रेतागण हैं, जिन्होनें सुलोचना के पति के भाई हंसराज व राजाराम से दिनांक 13.12.2006 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय किया है एवं क्रय करने के दिन से पुष्पादेवी आदि, विवादित आराजी पर वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज हैं। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि रैस्पो0 के नाम विवादित आराजी मुतनाजा पर किसी प्रकार के इन्द्राज खातेदारी नहीं है, बल्कि अन्य आराजी के साथ दिनांक 06.12.2013 को विवादित आराजी पर गलती से उच्च न्यायालय का स्थगन होते हुए तहसीलदार भरतपुर ने रैस्पो0 के नाम नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया था, जो पुनः दिनांक 06.01.2014 को समीक्षा किया जाकर खारिज कर दिया है। इस प्रकार विवादित आराजी पर रैस्पो0 को कोई अधिकार काश्तकारी प्राप्त नहीं है। विवादित आराजी में मौके पर कब्जा काश्त अपीलाण्ट की पत्नियों का है, जैसा कि विक्रय पत्रो में हो रहे अंकन से प्रतीत होता है इस प्रकार बिना कब्जे काश्त एवं खातेदारी के रैस्पो0 के हक में अपीलाधीन आदेश जारी करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटि की है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आर0आर0टी0 2017(1) पेज 406 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अपीलाण्ट द्वारा अन्तरिम आदेश की अपील की गई है। नियमानुसार अन्तरिम आदेश की अपील लाई नही करती है। यदि स्थगन आदेश के विरूद्ध अपीलाण्ट को कोई उज्र था, तो अधीनस्थ न्यायालय में ही करना चाहिए था। परन्तु अपीलाण्ट द्वारा ऐसा नही किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। प्रश्नगत आराजी बाबत् वाद, वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, जिसमें पक्षकारों के अधिकार तय होगें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2067–70 में वादी/रैस्पो0 के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 1149 दिनांक 06.12.13 से स्वीकार किया जाना स्पष्ट है। अतः प्रथम दृष्टया मामला बनता है। इसके अतिरिक्त दौरान वाद विवादित भूमि की सुरक्षा हेतु, अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.05.2014 में कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है। उक्त अपीलाधीन आदेश अन्तरिम आदेश है, अन्तिम आदेश नही। जिसकी अपील साधारणतः संधारणीय नहीं है। फिर भी अपीलाधीन आदेश स्पष्ट रूप से दिनांक 18.06.2014 तक ही है अतः दिनांक 18.06.2014 के उपरान्त अपील निष्प्रभावी है। अपीलाण्ट के पास पर्याप्त अवसर था कि वह अधीनस्थ न्यायालय में ही अन्तरिम आदेश पर आपत्ति कर उसे निरस्त करावें, इस अवसर का उपयोग किये बिना, वादकरण की बहुलता बढाना हम वांछनीय नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय दिनांक 04.05.2014 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 28.12.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official